न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 01/2017

RCMS Case No. 2017/00007

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मृत रूपीबाई बेवा चुन्नीलाल जाति सुथार निवासी बोया तहसील बाली के का0मु0 1. छगनलाल पुत्र चुन्नीलाल 2. कमलादेवी पुत्री चुन्नीलाल 3. मथुरादेवी पुत्री चुन्नीलाल 4. पवन बाई पुत्री चुन्नीलाल 5. रतन पुत्री चुन्नीलाल 6. सुखी बाई पुत्री चुन्नीलाल 7. देवी बाई पुत्री चुन्नीलाल 8. प्रतापराम पुत्र चुन्नीलाल जातिगण सुथार निवासीगण बोया तहसील बाली जिला पाली		1. रमेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल जाति सथार निवासी बोया तहसील बाली हाल गोपाल भवन के पीछे, अम्बिता कॉलोनी, जे0एम0बी0सी0 अम्बाजी, गुजरात 2. ग्राम पंचायत बोया तहसील बाली 3. सुजाराम पुत्र रहिंगाराम जाति चौधरी निवासी बोया तहसील बाली हाल मुम्बई (महाराष्ट्र)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/06/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बोया द्वारा मिसल संख्या 19 दिनांक 14.11.2007 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 20.04.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 02.05.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण का गत 60

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वर्षों से निवास हैं। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का भाई है, जिसने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी विवादित आराजी का स्वयं के नाम से पट्टा बनवा दिया एवं पट्टा बनवाने के पश्चात उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें भी विवादित आराजी को पुश्तैनी होना अंकित किया। चूंकि उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण से सहमति प्राप्त किए बिना ही अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, वह आधा–अधूरा प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र में वांछित स्थल का नाप–चौक, पडौस आदि अंकित करने थे, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं किए गए। मिसल में जो नक्शा संलग्न किया गया है, उसमें नक्शा नवीश के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के बयान ही नहीं लिए गए, जिन गवाहों के बयान लिए गए हैं, वे सशपथ नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह किस स्थान पर तथा किनकी उपस्थिति में चस्पा किया गया, अंकित नहीं हैं। गवाहों ने प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का 35 वर्ष पुराना कब्जा होना बताया, जबकि उस वक्त अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र ही 35 वर्ष नहीं थी, तो 35 वर्ष पुराना कब्जा होने के तथ्य मनगढन्त हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें जैर निगरानी मिसल का इन्द्राज बाद में अलग पेन से किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह विधि विरूद्ध रूप से अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी का पट्टा जारी किया गया है, जो न्यायोचित नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 1995 पेज 458 तथा डी0एन0जे0 1996 पेज 413 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा निहायत झूठे तथ्य अंकित करते हुए निगरानी प्रस्तुत की है, जो पोषणीय ही नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी याचिका के पैरा संख्या 1 में जैर निगरानी प्रश्नगत आराजी को रहवासीय मकान अंकित करते हुए गत 60 वर्ष से उसमें निवास करना जाहिर किया हैं। प्रार्थीगण का मौके पर किसी भी रूप में रहवास अथवा कब्जा नहीं हैं। मौके पर वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या 3 काबिज हैं। इन तथ्यों के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है, जिनसे मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे की तस्दीक होती हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त रूप से चार मकान थे, जिनका बंटवाडा होने से जैर निगरानी विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आई है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष विधि में विहित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। चूंकि उक्त आराजी विभाजन में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आई है, इस कारण उक्त आराजी पुश्तैनी नहीं मानी जा सकती हैं। अप्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क एवं मौका निरीक्षण शुल्क जमा करवाया है। यदि नक्शा मौका पर सचिव ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो इसका दण्ड अप्रार्थी को नहीं दिया जा सकता हैं। गवाहों ने अपने बयानों में मकान 35 वर्ष पुराना होना बताया है, अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा 35 वर्ष पुराना हो, यह उल्लेख नहीं हैं। इसी आराजी को लेकर पुलिस अनुसंधान हुआ है, जिसमें मौके पर कब्जा खरीददार का होना साबित हुआ हैं। आज भी मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 काबिज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टासुदा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में बेचान किया है। इस कारण रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से भी निगरानी पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रार्थीगण को दण्ड़ित किया जाना आवश्यक हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 1964 पेज 41 तथा आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967 की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। प्रकरण में जो नक्शा तैयार किया गया, उसमें नक्शा नवीश के हस्ताक्षर नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 06.12.2007 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित करते हुए मिसल में मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी को आदेशित किया गया। पंचों ने अपनी रिपोर्ट में मकान पुश्तैनी होना बताया। पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत द्वारा कोरम की बैठक दिनांक 21.12.2007 को प्रस्ताव संख्या 4 की पालना में पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय करते हुए एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में दिनांक 22.12.2007 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। आपत्ति इश्तिहार की पुस्त पर ऐसी कोई इबारत अंकित नहीं की गई, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त आपत्ति इश्तिहार किन व्यक्तियों की उपस्थिति में किस स्थान पर चस्पा किया गया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के बाद दिनांक 20.04.2008 को प्रस्ताव संख्या 4 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। गवाहों ने अपने बयानों में उक्त मकान 35 वर्ष पुराना बना होना जाहिर किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पुश्तैनी है। चूंकि प्रार्थीगण भी इस आराजी को पुश्तैनी बता रहे हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं मिसल में जो कार्यवाही हुई, वह भी पुश्तैनी आधार पर ही हुई हैं। हालांकि अप्रार्थी संख्या 3 का कथन है कि उक्त आराजी पारिवारिक विभाजन में अप्रार्थी संख्या 1 के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हिस्से में आई है, किन्तु इन कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया हैं, जो पारिवारिक विभाजन की ताईद करता हो। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जैर निगरानी पट्टे की आराजी को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय किया गया है, इस कारण उक्त पट्टा पंजीबद्ध दस्तावेज की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण न्यायालय हाजा को जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं हैं। इन तथ्यों के सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 139 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Once the document is registered, no any authority under the Act of 1908 is empowered to cencel the registration" इस तथ्य के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत अधिनियम के सन्दर्भ में डब्ल्यू0एल0एन0 2017 (3) पेज 379 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Constitution of India, 1950 Article 227 Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Section 97 - Scope of - Jurisdiction of District Collector to entertain revision - Validity of a patta, issued by a Gram Panchayat under provisions of Panchayat Acts of State of Rajasthan or Rules made thereunder can be questioned by way of revision petition under Section 97 of the Act even after its registration under the provisions of the Registration Act, 1908 - Settled law that if an order of allotment or a patta, which is the basis of the registered document found to be illegal, the registration of the said document will not come in the way - Settled that if the validity of a patta or order of allotment issued by any local authority is questioned by way of revision, the registration of the said patta or document of allotment will not be treated as a bar in adjudicating upon the validity of the same - Petition dismissed." इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान राज्य के पंचायत अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टे की वैधता को, उसके रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के पश्चात भी अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी याचिका में प्रश्नगत किया जा सकता हैं। जिला कलेक्टर को पंजीकृत पट्टे की वैधता के परीक्षण की अधिकारिता हैं। इस कारण विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्ध होने के कारण न्यायालय हाजा को सुनवाई की अधिकारिता नहीं हो। जहां तक प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत बोया द्वारा मिसल संख्या 19 दिनांक 14.11.2007 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 20.04.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 02.05.2008 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत बोया को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/06/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली